–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 68/2024

उनवान

1. लाडू उर्फ नरेन्द्र सिंह पुत्र सायर सिंह
2. सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुरेश पुत्र सायर सिंह
3. जय सिंह पुत्र सायर सिंह समस्त जाति रावत निवासी चौहान नगर ग्राम राजौसी नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :–जरियें अधिवक्ता श्री सुरज सिंह चौहान

बनाम

. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :– जरियें राज. पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 15.5.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजोसी के हाल खसरा नम्बर 3192 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण दिशा में हाल खसरा नम्बर 3193, 3194, 3197 स्थित है। हाल खसरा नम्बर 3192 के दक्षिण–पूर्वी हिस्से का नक्शा गलत बना दिया है। वंर्किग राजस्व मानचित्र में उक्त आराजी का नक्शा सही था। राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 3192 को गलत अंकित करने के कारण खसरा संख्या 3193, 3194, 3197 के खातेदार द्वारा जबरन जेसीबी मशीन से सीमा को वर्तमान नक्शें अनुसार बनाने पर आमादा है। अतः हाल राजस्व मानचित्र को दुयसत किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोंटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र वंर्किग मानचित्र के अनुसार दुरूस्त किये जाने से राजहित प्रभावित नही होता है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। हाल खसरा नम्बर 3192 रकबा 0.58प्रार्थीगण व अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि हाल खसरा नम्बर 3192 की दक्षिण–पूर्वी हिस्से का नक्शा गलत बना दिया है। [illegible] मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 3192 को गलत अंकित करने के कारण खसरा संख्या 3193, [illegible]97 के खातेदार द्वारा जबरन जेसीबी मशीन से सीमा को वर्तमान नक्शे [illegible] आमादा है। खसरा नम्बर 3192 के [illegible] अंकित है। किन्तु प्रार्थीगण ने वंर्किग खसरा नम्बर 2629 की दक्षिण–पूर्वी सीमा [illegible]

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

हाल खसरा नम्बर 3193, 3194, 3197 की जमाबंदी प्रार्थीगण द्वारा पेश नही की गयी है ना ही उक्त खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार बनाया है। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 3192 का राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से हाल खसरा नम्बर 3193, 3194 व 3197 का मानचित्र भी प्रभावित होता है। उक्त खसरा नम्बर के खातेदार को बिनरा सुनवाई का अवसर दिये राजस्व मानचित्र दुरूस्त करना विधिक प्रावधान के विपरित है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 3192 के अन्य सहखातेदार को भी प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। अतः प्रकरण में अपूर्ण पक्षकार के कारण प्रार्थीगण नक्शा दुरूस्त करवाने के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम राजोसी के हाल खसरा नम्बर 3192 रकबा 0.58 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। प्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के पडोसी खातेदार को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब कर नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested